

**-:निर्णय:-**

दिनांक 29.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि यह कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि चक 2 ए एम खाता संख्या 12/15 प0नं0 183/388 मुरबा नं0 13 किला नम्बर 5, 6, 15, 18, 23 प0 नं0 185/386 मुरबा नं0 5 किला नम्बर 3, 20, 21 प0 नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 1, 10 कुल 2.5300 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड दर्ज है। नकल जमाबंदी चक 2 ए एम खाता संख्या 12/15 सम्वत 2075-78 सलंगन है।

यह कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 2 ए एम खाता संख्या 71/61 प0नं0 185/386 मुरबा नं0 05 किला नम्बर 8 प0नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 11, 2,0, 21/2 कुल 0.9870 कमाण्ड अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी चक 2 ए एम खाता संख्या 71/61 सम्वत 2075-2078 सलंगन है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे आने जाने हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है प्रार्थी हमेशा से अप्रार्थी सं0 1 की भूमि चक 2 ए एम प0 नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 11, 20, 21/2 की पूर्वी सीव पर दक्षिण से उत्तर रास्ता से आवागमन करते हुए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि इसी चक के मुरबा नं0 5 के किला नम्बर 10 मे दक्षिणी सीव पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा रास्ता का उपयोग कर अपनी ढाणी मे प्रवेश करता है जो मौका पर चालू है यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काशत की भूमि मे से होकर आता जाता है तथा तथा इस रास्ता की भूमि के बदले मे नगद राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया था। परन्तु रास्ता स्वीकृत नहीं होने से वैधानिक अवरोध है। इसलिए प्रार्थी चक 2 ए एम प0 नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 11, 20, 21/2 की पूर्वी सीव पर दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि इसी चक के मुरबा नं0 5 के किला नम्बर 10 मे दक्षिणी सीव पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

8

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई दफा कहा कि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा दे पहले तो वे आज कल आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे परन्तु दिनांक -09-2025 को मुकाम भोमपुरा में वह कतई इन्कार हो गये यही वाद कारण है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा पूर्ण कोर्ट फीस र प्रस्तुत है व अंदर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 ए एम प0 नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 11, 20, 21/2 की पूर्वी सीव पर दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता प्रार्थी अपनी कृषि भूमि इसी चक के मुरबा नं0 6 के किला नम्बर 10 में दक्षिणी सीव पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

≥ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल मूण्ड ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में जबाब सहमति का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिससे प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ठ स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया-

- 1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
- 2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
- 3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहुंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (i) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। कानूनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुंचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुंच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(i) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नहीं होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते हैं कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 2 ए एम प0नं0 185/387 मु.न. 6 किला नम्बर 11, 20, 21/2 की पूर्वी सीव पर दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि इसी चक के मु.न. 6 के किला नम्बर 10 मे दक्षिणी सीव पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक वाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(मांगी लाल) RAS  
सहायक कलेक्टर  
राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ